

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

<p>14.</p>	<p>स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई।</p> <p>क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।</p>	<p>पीलीभीत-बरेली-मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग-33) के किमी० 134 से 135 (चैनेज किमी० 134.022) में मार्ग के दाहिनी ओर ग्राम-मानपुर नगरिया तहसील कासगंज जनपद कासगंज के खसरा संख्या-489 पर भारत पेट्रोलियम का० लि० द्वारा रिटेल आउटलेट के मार्ग हेतु 0.094768 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति हेतु प्रस्ताव।</p> <p>नहीं</p>
<p>15.</p>	<p>क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।</p>	<p>हाँ</p>
<p>16.</p>	<p>प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।</p>	<p>प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।</p>

तिथि:-12.3.18

स्थान:-अलीगढ़।



(बी० प्रभाकर)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

